वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या :567/XVII–2/2011–07(स0क0)/2002

प्रेषक,

एम0 एच0 खान,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 09 जून, 2011

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य में जम्मू कश्मीर विस्थापित परिवारों को प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 209/XXVII(1)/2010 दिनांक 31 मार्च, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में जम्मू कश्मीर विस्थापित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु **रु0 5.40 लाख (रुपये पांच लाख चालीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. यह सुविधा उन्हीं विस्थापित परिवारों को अनुमन्य होंगी जिन्हें विस्थापित प्रमाण पत्र पूर्व से निर्गत किये गये हैं अथवा जिन्हें पूर्व से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। नये लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा कश्मीरी परिवारों को सत्यापन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
4. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
5. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेंगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है।
6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य /लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

7. धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
8. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व यथावश्यकता शासन की सहमति प्राप्त की जाए।
9. अवमुक्त धनराशि आहरण–वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रत्येक माह आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. व्यय करने के पूर्व जिस मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
12. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में बजट प्राविधान से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0–13 पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह तक की व्यय बचत सूचना उपलब्ध कराया जाय।
13. नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।
14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
15. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–15 के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 01–पुनर्वास 800–अन्य व्यय 03–कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
17. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0 एच0 खान)
सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या 567/XVII–2/2011–07(स0क0)/2002 तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड ।